



बिरदोपुर
महमूरगज
वाराणसी
2363534
2362246
Helpline : 9984991991



आशीर्वाद

मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

.... क्योंकि हमें है आपका स्थाल
Hosp. Reg. No. AL0103

ISO 9001 : 2008 Certified Hospital

उपलब्ध होने का समय : सुबह 10 से 2 बजे तक, शाम 4 से 6 बजे तक **रविवार : अवकाश**

डा० (श्रीमती) उषा गुप्ता

बी.एस.सी., एम.बी.बी.एस.
रजिस्ट्रेशन नं. 11890 (उ.प्र.)
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
एम्बेडमेंट के लिए
फोन : 0542-2360146, 09918883322

डा० कावेरी गुप्ता

एम.बी.बी.एस., एम.आर.सी.ओ.जी. (लन्दन)
रजिस्ट्रेशन नं. 40733 (उ.प्र.)
प्रसूति रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी
एवं इन्फर्टिलिटी विशेषज्ञ
एम्बेडमेंट के लिए फोन : 09838721188/7379990222

डा० दीपाली गुप्ता

एम.बी.बी.एस., एम.डी. (बी.एच.यू.)
रजिस्ट्रेशन नं. 41318 (उ.प्र.)
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
एम्बेडमेंट के लिए फोन : 09792000083

Name : Miss / Mrs. Dr. Anshu Tewari Age 35 Date 21-2-2019

- C/O 1. रजिस्ट्रेशन
- 2. Tabular
- 3. MR-10-13
- 4.

- 1. M/H Cycle
 - Flow
 - Pain
 - LMP 22 June
 - EDD
- 2. O/H Gravida
 - Para 2, 1
 - BOH
- 3. G/E Anaemia
 - Odema
 - Icterus
 - B.P. 120/80
 - Wt. 67 kg
 - Heart
 - Chest
 - Breast
 - P/A
 - P/S
 - P/V

MR ANC
 1) Double molar - FMF & m&f
 2) HT 1000 - 1100 Early placental
 3) HT 1000 - 1100
 4) HT 1000 - 1100
 5) HT 1000 - 1100
 6) HT 1000 - 1100
 7) HT 1000 - 1100
 8) HT 1000 - 1100
 9) HT 1000 - 1100
 10) HT 1000 - 1100

9-9-2019
1000 - 1100
1000 - 1100
1000 - 1100
1000 - 1100
1000 - 1100
1000 - 1100
1000 - 1100
1000 - 1100
1000 - 1100
1000 - 1100

अनुसन्धान व भर्ती के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इस अस्पताल की कोई अन्य शाखा नहीं है।

23.9.2019

Om - 15726

30 Om - 164
Om - 164

30 12070

41 - 10170

Om

1. 20000
 2. 10000
 3. 5000
 4. 2000
 5. 1000
 6. 500
 7. 200
 8. 100
 9. 50
 10. 20
 11. 10
 12. 5
 13. 2
 14. 1
 15. 0.5
 16. 0.2
 17. 0.1
 18. 0.05
 19. 0.02
 20. 0.01

22.10.2019

Om - 15726
Om - 164
Om - 164

30 12070

41 - 10170

30 12070

41 - 10170

22.10.2019

1. 20000
 2. 10000
 3. 5000
 4. 2000
 5. 1000
 6. 500
 7. 200
 8. 100
 9. 50
 10. 20
 11. 10
 12. 5
 13. 2
 14. 1
 15. 0.5
 16. 0.2
 17. 0.1
 18. 0.05
 19. 0.02
 20. 0.01

22.11.2019

Red text on 22.11.2019

कालिकाधाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बन्ध-महात्मा गांधी कार्याविद्यापीठ-वाराणसी)


सेवापुरी - वाराणसी

पत्रांक. 14408/नियुक्ति/2017-18

दिनांक. 21.08.2017

नियुक्ति - पत्र

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ.प्र. इलाहाबाद के पत्रांक डिग्री अर्थ-1/आयोग/1395-99/2017-18 दिनांक 19-8-2017 के अनुपालन में एवं उ.प्र. उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 ब्यासशोधित तथा अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 धारा 13(3) एवं धारा 14 (1) के प्राविधानों के तहत डॉ0 अरविन्द सिंह की सेवानियुक्ति से रिक्त प्रवक्ता - राजनीतिशास्त्र के पद पर श्री हिमांशु मिश्र की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रु. 15600 -39100 के वेतनमान में एक वर्ष के लिये परीक्षा (प्रोवैशन) पर की जाती है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय होगा। परीक्षा अवधि में कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही स्वीकारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्री हिमांशु मिश्र की नियुक्ति शासनादेश संख्या-22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी आसन में पारित अन्तिम निर्णय के अर्धीन होगी।


डॉ0 अरविन्द सिंह

प्रबन्धक

कालिकाधाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सेवापुरी- वाराणसी

पत्रांक. 14408/नियुक्ति/2017-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री हिमांशु मिश्र, ग्राम. इस्माइलपुर पोस्ट. गरखापुर, सोराव जिला. इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 21 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें तथा कार्यभार ग्रहण के समय शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रमाण पत्रों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें तथा उनकी प्रमाणित छाया प्रतियां महाविद्यालय कार्यालय को प्रदान करें।
2. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ.प्र. इलाहाबाद को उनके पत्रांक डिग्री अर्थ-1/आयोग/1395-99/2017-18 दिनांक 19-8-2017 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।


डॉ0 अरविन्द सिंह

प्रबन्धक

कालिकाधाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सेवापुरी- वाराणसी

प्रश्न

शिक्षा निदेशक(उ0शि0)3090
दिली अर्ध-1(आयोग)
इलाहाबाद।

संख्या

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
कालिका धाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सेवापुरी, वाराणसी(3090)।

पत्रांक दिली अर्ध-1(आयोग)/

/2017-18 दिनांक 19/8/2017

विषय : विज्ञापन संख्या-46 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से भयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय

कृपया अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र केतनकम 19600-38100 वेतन पे 6000 में रिक्त पद का सन्तुति में जा डा0 अरविन्द सिंह की संतुति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के कालखण्ड रिक्त रूप में उपलब्ध है।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या- 30शि0 आयोग/सी-633/44/203/2017-18 दिनांक 14/06/2017 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपको महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अन्तर्गत आपको द्वारा उपरोक्त अधिभाषण हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्रावधानों के अंतर्गत विन्यासित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

श्री शिर्षु मिश्र

ग्राम-इस्माइलपुर, पोस्ट- गरखापुर,

सौराव, इलाहाबाद।

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश भंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय की भी पुरस्कृत करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्यतः संस्तुति करेंगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धक द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धक को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धक के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धक अवकाशित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धक का होगा।

6- यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा0 न्यायालय का कोई स्वयं अंतरिम/अन्तिम कार्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिवृत्त कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संसुत अन्धर्धी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिहार्य होगी।

8- प्रबन्धतंत्र अन्ध पिछड़े वर्ग एवं अनुसुचित जाति/जनजाति की अन्धर्धी की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति पत्र में शासनादेश संख्या- 22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1984 में दी गयी निम्न व्यवस्था को नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाव -

"यह नियुक्ति अन्तिम है तथा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित मन्थनों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में दावा झूठा है तो बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही जो की जा सकती है के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।"

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नोट -

महोदय

डा०(आर०पी० सिंह)

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा

उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं० : डिप्टी अर्थ-1(आयोग)/ 1395-99 /उसी तिथि को।

उक्त पत्र की प्रति निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।
- 2- प्राचार्य, कालिका घाम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेदापुरी, वाराणसी(उ०प्र०)।
- 3- संबंधित अन्धर्धी को इस मन्थन के साथ प्रेषित कि वे कृपया -
 - (क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
 - (ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्पर्क कर शीघ्रतरी अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को भी दें।
 - (ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं हैं और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन-व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपको स्वयं का होगा।
- 4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- 5- सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।

Shantanu
14.8.17

डा० (प्रीति गौतम)

संयुक्त शिक्षा निदेशक(उ०शि०)

उच्च शिक्षा निदेशक(उ०शि०)

उ०प्र०, इलाहाबाद।